वित्त निर्देश 22/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 177/सी-30457/वित्त/नियम/चार/2011, रायपुर, दिनांक 02.06.2011

प्रति,

'kklu d leLr foHkkx
v/;{k] jktLo e.My] fcykliqj
leLr foHkkxk/;{k
leLr lHkkxk;Dr
leLr ftyk/;{k
NRrhlx< A

विषयः-चिकित्सा शिक्षकों एवं चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध की स्थिति में अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता।

संदर्भः-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 61/C-30454/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 14.03.2011

संदर्भित ज्ञापन द्वारा राज्य के चिकित्सा शिक्षकों एवं चिकित्सकों के निजी प्रेक्टिस एवं निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध की स्थिति में अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा इस विषय पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि संदर्भित ज्ञापन को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार पुनरीक्षित निर्देश जारी किये जाये :-

1. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस करने की छूट रहेगी, परंतु निजी प्रेक्टिस केवल कर्तव्य की अवधि के बाहर की जा सकेगी एवं नर्सिंग होम या प्रायवेट क्लीनिक में जाकर इस प्रकार की प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।

2. चिकित्सा शिक्षकों पर निजी प्रेक्टिस का प्रतिबंध रहेगा, किन्तु उन्हें निम्न शर्तों के अधीन निजी प्रेक्टिस करने की छूट दी जा सकेगी -
   (अ) चिकित्सा शिक्षक अपने कर्तव्य अवधि के पश्चात् निजी प्रेक्टिस कर सकेंगे। इस हेतु उन्हें लिखित में महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
   (ब) चिकित्सा शिक्षक को अपने कर्तव्य अवधि में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहना होगा। कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर नियमानुसार अनुशासानात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(स) आपात स्थिति में या आवश्यकता होने पर उन्हें किसी भी समय कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होना होगा।
(द) उन्हें अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

3. चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षक की नियुक्ति प्रशासकीय पद पर होने पर उसे निजी प्रेक्टिस की छूट नहीं रहेगी। प्रशासकीय पद में संचालक, अधिष्ठाता, प्राचार्य, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र तथा जिला स्तर के प्रोग्राम अधिकारी सम्मिलित हैं।

4. प्रशासकीय पदों पर पदस्थ चिकित्सा अधिकारी एवं ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिन्होंने निजी प्रेक्टिस करने की छूट प्राप्त नहीं की हैं, अव्यवसायिक भत्ता के पात्र होंगे।

5. अव्यवसायिक भत्ता की दर मूल वेतन के 25% के समान होगी, बशर्ते कि मूल वेतन + अव्यवसायिक भत्ता रूपये 85,000 से अधिक न हो।

6. 'मूल वेतन' से तात्पर्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में आहरित बैंड वेतन एवं लागू ग्रेड वेतन से होगा, किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन/विशेष वेतन शामिल नहीं होगा।

7. अव्यवसायिक भत्ता, महंगाई भत्ता की गणना हेतु मूल वेतन का भाग माना जाएगा।

8. अव्यवसायिक भत्ता सेवानिवृत्ति परिलाभों की गणना हेतु भी मूल वेतन का भाग माना जाएगा, बशर्ते कि संबंधित अधिकारी को संपूर्ण सेवाकाल में कम से कम 5 वर्ष तक यह भत्ता प्राप्त हुआ हो।

9. राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय प्रकरणों में महंगाई भत्ते की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 25/971/वेआप्र/98 दिनांक 11/13 जनवरी, 1999 के अनुसार केन्द्र शासन के अनुरूप मूल वेतन पर न किया जाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–1–24–98/पचपन/चिशि–एक दिनांक 29.1998 के अनुसार मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के योग पर किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों में जहां उक्त आधार पर अव्यवसायिक भत्ता की गणना की जाकर सेवानिवृत्ति लाभ हेतु जोड़ा गया है, उन प्रकरणों में नियमानुसार अव्यवसायिक भत्ते की गणना मूल वेतन पर की जाकर, यदि आवश्यक हो, तो पेंशन का पुनरीक्षण किया जाये तथा ऐसे पुनरीक्षण के फलस्वरूप यदि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 262/236/नि/चार/2009 दिनांक 31.08.2009 के अनुसार दिनांक 01.09.2008 से किए गए समेकन के पूर्व यदि कोई अधिक भुगतान की वसूली निकलती है, तो ऐसी वसूली को माफ कर दिया जाए।

10. अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता उन चिकित्सा पदों तक सीमित होगी, जिनके लिये आवश्यक योग्यता इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट–1956, इंडियन मेडिसीन सेंट्रल काउंसिल एक्ट–1970, होम्योपेथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट–1973 अथवा डेन्टिस्टस एक्ट–1948 के अंतर्गत प्राधिकृत चिकित्सा उपाधि है।

11. पुनरीक्षित दर से अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता उस तिथि से होगी, जिस तिथि से शासकीय सेवक द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन आहरित किया गया है।

12. इन निर्देशों के जारी होने के फलस्वरूप वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 61/C–30454/वित्त/नियम/चार/2011, रायपुर, दिनांक 14.03.2011 द्वारा जारी निर्देश अधिक्रमित माने जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय सिंह)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 178/सी-30457/वित्त/नियम/चार/2011, रायपुर, दिनांक 06 जून, 2011

<u>प्रतिलिपि:-</u>

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर

7 महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर

8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, रायपुर ।
22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग